दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO :- CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, गुरूवार 30 मई 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-01, अंक-237

महत्वपूर्ण एवं खास

मुठभेड़ में हिज्बुल के दो आतंकी ढेर

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में हिज्बुल के दो आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। कोकेरांग क्षेत्र के जंगलों में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। आतंकियों के खिलाफ इस अभियान में जम्मू-कश्मीर पुलिस के अलावा, 19 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ के जवान संयुक्त रूप से शामिल हैं। जैसे ही सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी शुरू की, आतंकवादियों ने गोलाबारी शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में दो आतंकियों को मार गिराया गया है। पुलिस सूत्रों ने कहा, आतंकवादी भाग न जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों ने यहां सारे निकास के रास्ते सील कर दिए हैं। बता दें अभी उनके शव बरामद नहीं हो सके हैं। बता दें कि इससे पहले जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के करीमाबाद गांव में सुरक्षाबलों द्वारा मंगलवार तड़के शुरू किए गए तलाशी अभियान को खत्म कर दिया गया है। तड़के गांव में शुरू किए गए घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान कोई आतंकवादी नहीं मिला। गांव से आई रिपोर्टों में कहा गया है सुरक्षाबलों ने पथराव कर रहे युवकों की टोली के साथ झड़प के बाद तलाशी अभियान बंद कर दिया।

पांचवीं बार मुख्यमंत्री के रूप में नवीन पटनायक ने ली शपथ

21 मंत्रियों ने भी ली शपथ

भुवनेश्वर (आरएनएस)। ओडिशा में हाल ही में लोकसभा चुनावों के साथ संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में निर्णायक बढ़त बनाने के बाद नवीन पटनायक ने बुधवार को पांचवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यहां एक समारोह में पटनायक और उनकी टीम ने पद की शपथ ली। बीजू जनता दल (बीजद) के अध्यक्ष पटनायक (72) ओडिशा के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में से एक बन गए हैं। ओडिशा की 147 सदस्यों वाली विधानसभा में 112 सीटें जीतने वाली बीजद राज्य में साल 2000 से सत्तारूढ़ है। पटनायक की कैबिनेट में कुल 11 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्य मंत्री शामिल हैं। इस बार उनके मंत्रिमंडल में 10 नए चेहरे शामिल हुए हैं। पटनायक को मिलाकर ओडिशा के मंत्रिमंडल में कुल 21 मंत्री शामिल हैं। नवीन पटनायक की बहन और जानी-मानी लेखिका गीता मेहता भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुईं।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों में जुटा दुबई

दुबई। दुबई के स्कूलों एवं सार्वजनिक स्थानों को पांचवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए तैयार किया जा रहा है। योग दिवस अमीरात के खेल कैलेंडर का एक महत्त्वपूर्ण वार्षिक कार्यक्रम बन गया है। हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में सर्वसम्मति से इसे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। दुबई खेल परिषद के महासचिव सईद हारेब ने कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत विपुल से हाल ही में मुलाकात की थी।

मोदी ने भारत को एकजुट किया: टाइम मैगजीन

न्यूयॉर्क। टाइम मैग्जीन, जिसने भारत के आम चुनाव से पहले अपनी कवर स्टोरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चडिवाईडर इन चीफज बताया था, उसने चुनाव परिणाम के तत्काल बाद पलटी मारते हुए एक रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक है, मोदी ने भारत को इतना एकजुट किया, जो कि दशकों में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। यह लेख टाइम की वेबसाइट पर मंगलवार को प्रकाशित हुआ। इसमें एक सवाल पूछा गया है कि, कैसे यह कथित विभाजनकारी शख्सियत न केवल सत्ता में कायम रह पाया है, बल्कि उसके समर्थक और भी ज्यादा बढ़ गए हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 10 करोड़ वापस करने की मांग

» कार्ति चिदंबरम को झटका

नईदिल्ली (आरएनएस)। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम के 10 करोड़ रुपये जारी करने की मांग संबंधी याचिका बुधवार को खारिज कर दी है. याचिका में कार्ति ने विदेश यात्रा के लिए जमा किए गए 10 करोड़ की रकम को वापस करने की अपील की थी. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) रंजन गोगोई की अगुवाई में बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी. ज्ञात हो कि कार्ति मनी लॉन्ड्रिंग समेत आपराधिक मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई (सीबीआई) की जांच का सामना कर रहे हैं. सीजेआई ने रंजन गोगोई और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की वेकेशन बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कार्ति से कहा है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र पर ध्यान दें. बता दें कि कार्ति चिदंबरम ने तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था.

इससे पहले कार्ति ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने के लिए 10 से 26 जनवरी के बीच इंग्लैंड और फ्रांस और 23 से 31 मार्च के बीच स्पेन जाने की इजाजत मांगी थी. कोर्ट ने उन्हें इसके लिए अनुमति दे दी, लेकिन साथ में कड़ी शर्तें भी लगाई. उनको 10 करोड़ रुपये सिक्योरिटी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल के पास जमा कराने के लिए भी कहा गया था.

साथ ही कार्ति को आगाह किया था कि अगर उन्होंने आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस मामलों की जांच में सहयोग नहीं किया, तो उनके साथ सख्ती की जाएगी.

फरवरी-मार्च में देश से बाहर जाने की याचिका पर विचार करते हुए रंजन गोगोई ने कहा, कानून के साथ मत खेलो. आपने अभी तक सहयोग नहीं किया है. मैं आपको साफ कर दूं कि इस मामले में थोड़ी सा भी असहयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो यह कोर्ट आपसे सख्ती से पेश आएगा. बेंच ने आगे कहा, जहां जाना है जाओ, जहां घूमना है घूमो लेकिन जांच में सहयोग न करना हम पसंद नहीं करेंगे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है.

विधानसभा के 'छोटे चुनाव' में फिर जीतेंगे: केजरीवाल

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करते हुए अपने कार्यों पर डटे रहने का आग्रह किया है। ज्ञात हो कि हाल ही संपन्न हुए लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों से करारी शिकस्त मिलने के बाद कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों में खलबली मची हुई है। 23 मई को आये नतीजों में आप को केवल पंजाब में एक सीट पर विजय मिली है। पिछली लोकसभा में पार्टी के पंजाब से चार सांसद थे। सोलहवीं लोकसभा में दिल्ली में दूसरे नंबर पर रही आप की इस बार दुर्गति हुई और उसके सात में से पांच उम्मीदवार तीसरे स्थान पर खिसक गये, जबकि कुछ की जमानत भी जब्त हुई। केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के दो कारण गिनाये हैं। उन्होंने लिखा, आम चुनाव को लेकर पूरे देश में जो माहौल बना उससे दिल्ली भी अछूती नहीं रही। राष्ट्रीय संयोजक ने हार के दूसरे कारण के बारे में बताया कि मतदाताओं ने इस 'बड़े चुनाव' को नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच की लड़ाई मानी और उसी लिहाज से मतदान किया ।

राष्ट्रीय संयोजक ने आगे लिखा है, ''चुनाव में इन दो कारणों के अलावा पराजय की चाहे कोई भी वजह रही हो, हम मतदाताओं को यह आश्वस्त नहीं कर पाये कि उन्हें आप पार्टी को वोट क्यों देना चाहिए, जबकि बड़ा पहलू यह है कि दिल्ली विधानसभा के 'छोटे चुनाव' में मतदाता पार्टी के अतुलनीय कामकाज पर वोट करेंगे।

गर्ल्स हॉस्टल में आग, जान बचाने एक लड़की ने लगाई छलांग

नईदिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जनकपुरी के कावेरी में एक गर्ल्स हॉस्टल में अचानक लगी आग से हड़कंप मच गया. इस दौरान आग के धुंए से 6 लड़कियां बेहोश हो गईं. वहीं जान बचाने के लिए एक लड़की ने हॉस्टल की पहली मंजिल से छलांग लगा दी. फिलहाल 50 लड़कियों को हॉस्टल से रेस्क्यू कर लिया गया है.

ज्ञात हो कि दक्षिणी दिल्ली के जनकपुरी में बने इस हॉस्टल के बेसमेंट में इलेक्ट्रिक पैनल में सुबह करीब 3 बजे आग लग गई. आग फैलते-फैलते ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच गई जहां लड़कियां रहती हैं. आग की लपटें देखते ही चीख-पुकार मच गई. हॉस्टल प्रशासन ने तुरंत आग की सूचना दी. जिससे मौके पर पहुंची तीन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया. फिलहाल 6 घायल लड़कियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को एक ऐसी जनहित याचिका दायर की गई जिसमें केंद्र को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कदम उठाने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने इस आधार पर याचिका दायर की है कि देश में अपराध, प्रदूषण बढ़ने और संसाधनों एवं नौकरियों की कमी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। याचिका में जनसंख्या नियंत्रण के लिए न्यायमूर्ति वेंकटचलैया की अगुवाई में राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग (एन सी आर डब्ल्यू सी) की सिफारिशें लागू करने का भी अनुरोध किया गया। याचिका में कहा गया, ''एनसीआरडब्ल्यूसी ने दो साल तक काफी प्रयास और व्यापक चर्चा के बाद संविधान में अनुच्छेद 47ए शामिल करने और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का सुझाव दिया था।'' याचिका में कहा गया है, ''अब तक संविधान में 125 बार संशोधन हो चुका है, सैकड़ों नए कानून लागू किए गए लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया गया जिसकी देश को अत्यंत आवश्यकता है और जिससे भारत की 50 प्रतिशत से अधिक समस्याएं दूर हो सकती हैं।'' इसमें अदालत से यह आदेश देने की भी मांग की गई कि केंद्र ''सरकारी नौकरियों, सहायता एवं सब्सिडी के लिए दो बच्चों का नियम बना सकता है और'' इसका पालन नहीं करने पर ''मतदान का अधिकारी, चुनाव लड़ने का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार, निःशुल्क आश्रय का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार जैसे कानूनी अधिकार वापस लिए जा सकते हैं''। याचिका में दावा किया गया है कि भारत की जनसंख्या चीन से भी ''अधिक हो गई है'' क्योंकि हमारी जनसंख्या के करीब 20 प्रतिशत के पास आधार कार्ड नहीं है और इसलिए सरकारी आंकड़ों में वे शामिल नहीं हैं और देश में करोड़ों रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि बलात्कार, घरेलू हिंसा जैसे जघन्य अपराधों के पीछे का एक मुख्य कारण होने के अलावा ''जनसंख्या विस्फोट भ्रष्टाचार का भी मूल कारण है''।

भारत दौरे पर आएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग

नई दिल्ली (आरएनएस)। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस साल भारत के दौरे पर आएंगे जिसके लिए जगह और तारीखें तय की जा रही हैं। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यहां यह जानकारी दी। वुहान में पहले अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी ने प्रधानमंत्री मोदी के 2019 में अगले अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया था।

बैठक के लिए तारीख और स्थल को अंतिम रूप देने के लिए दोनों पक्ष राजनयिक माध्यमों से संपर्क में हैं। बयान में कहा गया, चीजों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद यात्रा के बारे में विस्तृत विवरण की घोषणा की जाएगी। पहला अनौपचारिक सम्मेलन अप्रैल 2018 में चीन के वुहान में हुआ था।

अप्राकृतिक यौनाचार के दोषी की उम्रकैद सजा बरकरार

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने चार वर्षीय एक बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के दोषी व्यक्ति को मिली उम्रकैद की सजा को यह कहते हुए बरकरार रखा कि उसकी इस घृणित करतूत ने पीड़ित को शारीरिक चोट पहुंचाने के साथ ही उसको भावनात्मक रूप से तोड़ दिया होगा। अदालत ने कहा कि 25 वर्षीय दोषी व्यक्ति खुद भी एक छोटे बच्चे का बाप है लेकिन ऐसा जघन्य अपराध करने का उसे जरा भी पछतावा नहीं हुआ। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और दोषी की अपील को खारिज कर दिया। निचली अदालत ने बच्चे के पड़ोस में रहने वाले इस व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। पीठ ने गौर किया कि पीड़ित को इस शख्स ने चिकन-चावल का लालच देकर उसके साथ कुकर्म किया था। पीठ ने कहा, ऐसी घृणित करतूत कर याचिकाकर्ता (दोषी) ने न सिर्फ पीड़ित को शारीरिक क्षति पहुंचाई बल्कि उससे भी ज्यादा इस हरकत ने उसको भावनात्मक रूप से तोड़ दिया होगा, जो आने वाले लंबे समय तक उसके दिलो-दिमाग पर रहेगा। पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता द्वारा दर्शाई गई इस निंदनीय वहशत ने पीड़ित को ऐसा सदमा पहुंचाया होगा कि वह किसी वयस्क पर भरोसा करने में झिझकेगा या किशोरावस्था में अपना जीवन आनंद एवं स्वतंत्रता से नहीं जी पाएगा। पीठ ने पाया कि जब कोई अंदर से टूट जाता है और वह भी इतनी कम उम्र में तो बच्चे का समग्र स्वस्थ विकास निश्चित तौर पर अवरुद्ध हो जाता है।

मुझे दोबारा मंत्री बनाने पर विचार न करें:जेटली

» वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मोदी से अपील की है कि उन्हें मंत्री बनाने का विचार ना किया जाए। जेटली ने अपने खत में लिखा है कि पिछले 18 महीने से उनकी तबीयत खराब है ऐसे में वह जिम्मेदारी को नहीं निभा पाएंगे। इसलिए उन्हें मंत्री बनाने पर कोई विचार ना करें।

उन्होंने वित्त मंत्री के लेटरहेड से लिखे पत्र को ट्विटर पर भी शेयर किया। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए लिखा कि उन्हें कैबिनेट में शामिल करने पर विचार न किया जाए। जेटली ने अपने पत्र में पीएम मोदी का आभार जताते हुए लिखा कि उनके नेतृत्व में देश के विकास को नए रास्ते पर ले जाने का मौका मिला। जेटली ने पत्र में लिखा, पार्टी में रहते हुए मुझे संगठन स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई, एनडीए की पहली सरकार में मंत्री पद और विपक्ष में रहते हुए भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने का मौका मिला। मैं इससे ज्यादा की कुछ और मांग भी नहीं कर सकता। दरअसल डेढ़ साल से जेटली काफी बीमार चल रहे हैं। वह किडनी संबंधी गंभीर बीमारियों के साथ ही कैंसर से भी जूझ रहे हैं। उनका किडनी प्रत्यारोपण भी किया गया है।

हापुड़ भीड़ हत्या मामले में आगामी जांच करने का निर्देश देने कोर्ट ने किया इनकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के हापुड़ लिंचिंग मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को आगे की जांच करने का निर्देश देने से मंगलवार को इनकार कर दिया.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई एवं जस्टिस अनिरुद्ध बोस की वेकेशन बेंच ने कहा कि मांस निर्यातक 45 वर्षीय कासिम कुरैशी की हत्या मामले में आगे की जांच करने और पूरक आरोप-पत्र दायर करने के लिए राज्य पुलिस को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर फैसला निचली अदालत लेगी.

बेंच मृतक के रिश्तेदार समीउद्दीन की ओर से दायर नयी अंतरिम याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस याचिका में कहा गया है कि मीट निर्यातक के दोनों भाइयों की तरफ से हापुड़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज कराए गए बयानों में हुए खुलासों के मद्देनजर आगे जांच की जरूरत है.

याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए बेंच ने समीउद्दीन से निचली अदालत का रुख करने को कहा जो कानून के मुताबिक फैसला लेगी. उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व में शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि उसने हापुड़ भीड़ हत्या मामले में जांच पर नयी स्थिति रिपोर्ट दायर की है.

अदालत ने आठ अप्रैल को राज्य सरकार को इस मामले में स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा था जिसमें पिछले साल जून में गोरक्षा के नाम पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और अन्य के साथ बुरी तरह मारपीट की गई थी.

चारा घोटाला मामले में 16 दोषियों को 3 से 4 साल की जेल

रांची (आरएनएस)। एक विशेष अदालत ने बुधवार को करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामले में 16 आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें तीन से चार वर्षों की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार, एस.एन. मिश्रा की विशेष सीबीआई अदालत ने चाईबासा कोषागार से फर्जीवाड़ा करके 37 करोड़ रुपये निकालने के मामले में 16 लोगों को दोषी ठहराया। अदालत ने इनमें से 11 लोगों को तीन वर्ष और पांच अन्य को चार वर्षों की सजा सुनाई।

सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को इसी मामले में 2013 में दोषी ठहराया था। सीबीआई ने बाद में 16 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इनमें से 14 चारे की आपूर्ति करते थे और दो सरकारी अधिकारी थे। सीबीआई की अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े 42 मामलों में अपना फैसला सुनाया है।